



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 28.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस/जीएसटी कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना लाल पुत्र मनोज नि० मोहल्ला तुलसीनगर कोतवाली उर्ई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उर्ई पर मु०अ०सं० 52/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस/जीएसटी कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० संजय कुमार
कोर्ट मुहरिर



का० राहुल लवानिया
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

